न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 38 / 2021

जी.सी.एम.एस. नं.: 2021 / 58

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रार्थी

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति रामदासिया निवासी भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. धर्मपाल पुत्र लाल सिंह जाति बावरी निवासी भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. धर्मपाल पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी 2 एसजेएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
4. पृथ्वीराज पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी 2 एसजेएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
5. कृष्ण सिंह पुत्र लाल सिंह जाति बावरी निवासी भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
6. सरजीत सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी भातीवाला तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
7. दर्शन सिंह पुत्र लाल सिंह जाति बावरी निवासी 2 एसजेएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व विजयनगर।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :—

1. **श्री ओम धायल, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री सुरेन्द्र भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण**
3. **राजपैरोकार**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 20.6.25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के पुत्र हरजाब सिंह के नाम से चक 2 एसजेएम मु.नं. 7 प.नं. 243 / 384 कि.नं. 14 ता 17, 22 ता 25 में 1.961है. नहरी भूमि है। प्रार्थी व उसका पुत्र संयुक्त परिवार में रहते हैं। प्रार्थी का उसके पत्रु द्वारा अपने भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कि.नं. 15 में ट्यूबवैल लगाया हुआ है जिसमें विधुत कनैक्शन लगा हुआ है। प्रार्थी के पुत्र हरजाब सिंह की भूमि की दक्षिण दिशा में चिपती हुई अप्रार्थीगण की भूमि है। अप्रार्थीगण की भूमि [illegible] में चक 7 एपीडी ए की चिपती भूमि है जिसका मु.नं. 2 कि.नं. 1 ता [illegible] व 13 की 10 बिस्वा प्रार्थी की माता को दिनांक 24.03.1992 को [illegible] है। प्रार्थी की माता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि प्रार्थी [illegible] कब्जा काश्त में है जो [illegible] बंटवारा में प्रार्थी को मिली है अभी इस भूमि को न्यायालय में विप्रार्थना के कारण विरास्तन ईन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है, [illegible]रा 22 के नोटिस प्रार्थी [illegible] में आ रहे है। इसके अलावा प्रार्थी के नाम से चक 2 एपीडी मु.नं. 26 की [illegible]5है. भूमि रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। चक 7 एपीडी ए मु.नं. 2 एवं चक 2 एसजेएम मु.नं. 26 में भूमि की सिंचाई सुविधा की पूर्ति हेतु मु.नं. 7 कि.नं. 15 में लगे ट्यूबवैल से अप्रार्थीगण की सहमति से पाईप लाईन चार वर्षों से बिछाई हुई है। अप्रार्थीगण पाईपलाईन को उखाड़ना चाहते है। इसलिए प्रार्थी बिछी हुई पाईप मन्जूर करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण पाईप

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested

तोड़ने की धमकी दे रहे है अगर वे कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण की भूमि चक 2 एसजेएम तहसील श्रीविजयनगर के मु.नं. 10 प.नं. 243/385 मु.नं. 21 प.नं. 243/386, मु.नं. 24 प.नं. 243/387 प्रत्येक के कि.नं. 5–6–15–16–25 में जमीन के करीब चार फुट के नीचे से जा रही पाईप लाईन को किसी प्रकार छेड़छाड़ ना करे, अथवा तोड़फोड़ ना करे तथा ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे पाईप लाईन में पानी का प्रवाह बन्द हो इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 01.06.2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण कि पाईप लाईन से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें जारी की गयी। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एसजेएम मु.नं. 26 प.नं. 251/387 में कोई पाईप लाईन नहीं डाली गई। निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा कभी भी विधिक रूप से पाईप डालने के लिए कानूनी तौर पर कभी भी कोई स्वीकृति राजस्व न्यायालय से प्राप्त नहीं की है। जिस प्रकार से पाईप लाईन डाली गई है। जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण अप्रार्थीगण की फसल खराब होने का पूरा पूरा अन्देशा बना रहता है। प्रार्थी द्वारा जो रकबा अपना होना बताया गया है वह रकबा स्वयं प्रार्थी का ना होकर वह रकबा प.नं. 243/388 चक 7 एपीडी ए पौंग बांध आरक्षित रकबा राज है। जो कि धारा 6ए में खारिज हो चुका है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ना ही कभी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की पाईपलाईन डालने की सहमति ली है। मौके पर जगह जगह पाईप लाईन टूटी हुई है। जिससे कि अप्रार्थीगण की फसल खराब हो रही है। प्रार्थी को कहने पर लडाई झगड़े करने पर उतारू हो जाता है। इसलिए प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का दोनों रकबा अलग चकों में पडता है। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य छुपाकर वाद पेश किया है। जो काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की सहमति से पाईप लाईन बिछाई गयी थी, जिसके नियमन/स्वीकृति हेतु एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर आधारित वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके विचारण के दौरान यदि पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त करने में अप्रार्थीगण सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद लाने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.06.2021 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा कभी अप्रार्थीगण से पाईपलाईन डालने की सहमति नहीं ली गई है। ना ही प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन डालने की राजस्व न्यायालय से स्वीकृति ली है। पाईप लाईन जगह जगह से टूटी हुई है जिससे अप्रार्थीगण की फसल खराब हो रही है। प्रार्थी की भूमि अलग अलग चक में है। [illegible] का वर्णित चक 7 एपीडी ए का रकबा पौंग बांध आरक्षित [illegible] के तहत खारिज हो चुका है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनकी भूमि में से होते हुए पाईप लाईन बिछी हुई है, लेकिन उनके द्वारा कथन किया गया है कि पाईपलाईन जगह जगह से टूटी हुई है। भूमि दो चक में होने के कारण प्रार्थी के पाईप लाईन बिछाने के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। चक 7 एपीडी ए की भूमि प्रार्थी की है अथवा नहीं, पाईप लाईन विधिक रूप से बिछी है अथवा नहीं है, प्रार्थी को पाईप लाईन बिछाने की स्वीकृति दी जानी अथवा

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

नहीं तथा वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं का निर्णय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर होना है। हस्तगत प्रकरण में उक्त तथ्यों/प्रश्नों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नही की जा सकती है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि उनकी भूमि में से पाईप लाईन गुजरती है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने से तथा सिंचाई सुविधा बाधित होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति संभावित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.06.2021 को मूल वाद पत्र के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30/6/25 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:46:29 IST
Reason: SelfAttested